न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः अंजलि राजोरिया, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 279 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/305)
पंजीयन दिनांक– 17.11.2021
निर्णय दिनांक– 16.03.2022

समस्त ग्रामवासियान सज्जनपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ जरियेः–

1. श्री मांगीलाल पिता भगवानलाल कुमावत, निवासी सज्जनपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री भेरूलाल पिता काशीराम कुमावत, निवासी सज्जनपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री सोहनलाल पिता औंकारलाल कुमावत, निवासी सज्जनपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्री रामचन्द्र पिता घीसुलाल कुमावत, निवासी सज्जनपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
5. श्री सोहनलाल पिता भेरूलाल कुमावत, निवासी सज्जनपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
6. श्री बोतलाल पिता भेरूलाल कुमावत, निवासी सज्जनपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
7. श्री भेरूलाल पिता नवलराम कुमावत, निवासी सज्जनपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़।
2. भूमिधारी तहसीलदार, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़।
3. ग्राम पंचायत नेतावल महाराज, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री संजय सेन – अधिवक्ता अपीलांट्स
. मुरलीधर पालीवाल – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2
राजकीय अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश संख्या
क्रमांक/राजस्व/12–6(11) 2021/1998 दिनांक 02.03.2021

निर्णय

दिनांक 16.03.2022

1. अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश संख्या क्रमांक/राजस्व/12–6(11) 2021/1998 दिनांक 22.10.2021 के विरूद्ध दिनांक 17.11.2021 को प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

2. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश संख्या क्रमांक/राजस्व/12–6(11) 2021/1998 दिनांक 22.10.2021 से ग्राम सज्जनपुरा, ग्राम पंचायत नेतावल महाराज, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ की चरागाह आराजी संख्या 26 मी रकबा 0.53 हैक्टेयर में से 0.10 हैक्टेयर भूमि को सार्वजनिक श्मशान हेतु आरक्षित किये जाने से अप्रसन्न एवं व्यथित पक्षकार होने से अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई।

3. उक्त निर्णय/आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

4. यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया।

अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री संजय सेन उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 02.03.2022 को सुनी गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम सज्जनपुरा के लिए श्मशान हेतु कई वर्षो से आराजी नम्बर 2 मीन चरागाह शवों को जलाने के काम में आ रही है। इस तथ्य को ग्राम पंचायत ने अपने प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 05.01.2021 में भी माना है तथा आराजी नम्बर 26 मीन रकबा 0.53 में श्मशान नही बनाने का प्रस्ताव लिया हुआ है। आराजी नम्बर 26 में जो श्मशान के लिए भूमि आरक्षित की गयी वह श्मशान के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। ग्राम पंचायत, नेतावल महाराज ने प्रभूलाल पिता हीरालाल कुमावत, रतनी बाई पत्नि रमेशचन्द्र कुमावत को नाजायज लाभ देने के दृष्टिकोण से तत्कालीन सरपंच ने गलत अनापत्ति पत्र जारी किया गया। जिसके संबंध में एक दीवानी वाद भी सिविल न्यायाधीश, चित्तौड़गढ़ के यहा प्रस्तुत किया हुआ है जिसका प्रकरण संख्या 72/2021 होकर उक्त न्यायालय में विचाराधीन है। आराजी नम्बर 2 मीन जहां वर्षो से ग्राम सज्जनपुरा का श्मशान है वह ग्रामवासियों के लिए सर्वथा उपयुक्त भूमि है। जिसके संबंध में समुचित मौके की जांच ग्रामवासियों की मौजूदगी में की गयी जिसमें स्वयं पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में दिनांक 01.07.2021 में यह तथ्य वर्णित किया है कि ग्राम सज्जनपुरा की श्मशान की भूमि जिसके संबंध में न्यायालय में दावा चल रहा है जो प्रभुलाल बनाम सरकार प्रक्रियाधन है। प्रभूलाल ने उनके आवासीय व कृषि भूमि के पास में आराजी नम्बर 2 मीन में ग्रामवासियों द्वारा शवों का दाह संस्कारण किये जाने के कारण यह दावा किया है। इससे भी स्पष्ट है कि ग्राम सज्जनपुरा की आराजी नम्बर 2 मी वर्षो से

श्मशान के काम में आ रही है ऐसी स्थिति होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी नम्बर 26 मीन रकाब 0.53 हैक्टेयर में से 0.10 हैक्टेयर भूमि को श्मशाम के रूप में आरक्षित करने को जो आदेश पारित किय है व निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही अपीलांट स्वीकार की जाने बाबत निवेदन किया गया।

6. अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 22.10.2021 से पारित आदेश नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

7. प्रकरण में अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे एवं बिना अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार हुए उन्होंने अपील प्रस्तुत करने के लिए दफा 96 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि संबंधित मामला समस्त ग्रामवासियान सज्जनपुरा को सीधे दुष्प्रभावित करने वालो होने के कारण एवं ग्राम पंचायत नेतावल महाराल के द्वारा भी तत्कालीन सरपंच के द्वारा जनहित के विरूद्ध समस्त ग्रामवासियान सज्जनपुरा के हितों के विरूद्ध है। चूंकि प्रकरण श्मशान की भूमि आवंटन संबंधित होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ का है। अतएवं प्रकरण सार्वजनिक प्रयोजनार्थ का होने से न्यायहित में दफा 96 जा. दी. का आवेदन के आधार पर स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी जाती है।

8. प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपील अंदर मयाद पेश हुई है। अब हम अपील में अपीलाण्ट द्वारा वर्णिज उजरात के विवेचन व बहस तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के बरूए गुणावगुण पर विवेचन करना उचित समझते हैं। प्रकरण में वस्तुतः जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश संख्या क्रमांक/राजस्व/12–6(11) 2021/1998 दिनांक 22.10.2021 से ग्राम सज्जनपुरा, ग्राम पंचायत नेतावल महाराज, तहसील व जिला

चित्तौड़गढ़ की चरागाह आराजी संख्या 26 मी रकबा 0.53 हैक्टेयर में से 0.10 हैक्टेयर भूमि को सार्वजनिक श्मशान हेतु आरक्षित किये जाने से अप्रसन्न एवं व्यथित पक्षकार होने से अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई। अपीलाण्ट द्वारा जो प्रमुख आधार लिये गये हैं, वो यह है कि ग्राम सज्जनपुरा के लिए श्मशान की आराजी नम्बर 2 मीन चरागाह शवों को जलाने के काम में श्मशान के रूप में काम आ रही है। इस तथ्य को ग्राम पंचायत, सज्जनपुरा ने अपने प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 05.01.2021 में भी माना और आराजी नम्बर 26 मीन रकाब 0.53 में श्मशान नहीं बनाने का प्रस्ताव लिया गया है तथा आराजी नम्बर 26 में जो श्मशान के लिए भूमि आरक्षित की गयी वह सर्वथा अनुपयुक्त है इससे ग्रामवासियान को काफी दूर होने से अत्याधिक कठिनाई होगी।

9. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि हालांकि ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 05.01.2021 में भी माना और आराजी नम्बर 26 मीन रकाब 0.53 में श्मशान नहीं बनाने का प्रस्ताव लिया गया है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 58 पर उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक 129 दिनांक 20.04.2021 से ग्राम सज्जनपुरा में श्मशान हेतु भूमि आवंटन के संबंध में जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ को प्रेषित पत्र में उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अवगत करवाया गया कि तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपनी रिपोर्ट में "ग्राम सज्जनपुरा में श्मशान भूमि आवंटन प्रस्ताव एवं समस्त ग्रामवासियान, सज्जनपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के परिप्रेक्ष्य में जांच की गई। ग्राम सज्जनपुरा की आराजी नम्बर 2 मीन विद्युत विभाग के जीएसएस से सटा हुआ होने से सहायक अभियंता अ.वि.वि.नि.लि., चित्तौड़गढ़ (ग्रामीण) से टिप्पणी ली गई। सहायक अभियता की टिप्पणी अनुसार उक्त आराजी संख्या 2 मीन से विद्युत जीएसएस सटा हुआ है, जिससे जीएसएस के

समीप श्मशान होने से आग से विद्युत जीएसएस पर भी आग लगने की संभावना रहेगी एवं मानवीय क्षति होने की पुरी संभावना है। अतः यह श्मशाम विद्युत जीएसएस से कहीं दूर बनाया जाये। उक्त टिप्पणी अनुसार आराजी संख्या 2 मीन में श्मशान बनाया जाना उचित नहीं होगा। अतः ग्राम सज्जनपुरा में श्मशान हेतु आराजी नम्बर 26 उपयुक्त रहेगी"। उपरोक्त क्रम में यह न्यायालय पाता है कि उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रिपोर्ट में सहायक अभियंता अ.वि.वि.नि.लि., चित्तौड़गढ़ (ग्रामीण) की टिप्पणी अनुसार आराजी संख्या 2 के समीप सहायक अभियंता अ. वि.वि.नि.लि., चित्तौड़गढ़ (ग्रामीण) का जीएसएस लगा होने से आग लगने की संभावना रहने एवं मानवीय क्षति होने की पुरी संभावना होने से ग्राम सज्जनपुरा में श्मशान हेतु आराजी नम्बर 26 का प्रस्ताव उचित है। अतएवं उक्त उज्र समायत योग्य नहीं है।

10. अपीलाण्ट का अन्य कथन यह है कि ग्राम पंचायत नेतावल महाराज के श्री प्रभूलाल पिता हीरालाल कुमावत, रतनी बाई पत्नि रमेश चन्द्र कुमावत को नाजायज लाभ देने के दृष्टिकोण से तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत, सज्जनपुरा ने गलत अनापत्ति पत्र जारी किया तथा उक्त प्रभुलाल वगैराह द्वारा एक दीवानी वाद राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं ग्राम पंचायत, नेतावल महाराज के विरूद्ध सिविल न्यायाधीश, चित्तौड़गढ़ के यहा प्रस्तुत किया हुआ है जिसका प्रकरण संख्या 72/2021 विचाराधीन होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विवादित आदेश पारित किया गया।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 89 पर उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ को प्रेषित पत्रांक 321 दिनांक 20.07.2021 में अवगत करवाया गया कि तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ की रिपोर्ट अनुसार ग्राम सज्जनपुरा में

श्मशान की भूमि आवंटन के संबंध में न्यायालय में दर्ज दावा 72/2020 एवं 62/2020 श्री प्रभूलाल वगैराह बनाम राज्य सरकार प्रक्रियाधीन है जिसमें श्री प्रभुलाल वगैराह द्वारा उनके आवासीय एवं कृषि भूमि के पास आराजी नम्बर 2 मी में ग्रामवासियों द्वारा दाह संस्कार किए जाने के कारण किया गया है एवं वर्तमान में दावा विचाराधीन है। प्रकरण में माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का स्थगन जारी नही किया गया है। साथ ही जिस आराजी को श्मशान हेतु प्रस्तावित की गई है उस आराजी नम्बर 26 पर किसी भी कोर्ट में मामला विचाराधीन नही तथा न ही किसी प्रकार का स्थगन है। अतः उपरोक्तानुसार उक्त आराजी पर किसी प्रकार का किसी भी न्यायालय से स्थगन नहीं होने से अतएवं उक्त उज्र माने जाने योग्य नहीं है।

12. अधिवक्ता अपीलांट द्वारा कतिपय दस्तावेज धारा 91 की कार्यवाही के प्रस्तुत किये जो बिना आवेदन के होने के कारण रेकार्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा नही दी जा सकती है।

13. उपरोक्त समग्र विवेचन के दृष्टिगत यह न्यायालय पाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं है, अतएवं अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(अंजलि राजोरिया, IAS)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(अंजलि राजोरिया, IAS)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर